

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/ 5656-62 दिनांक 29-05-2020  
कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि में अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 04 में अंकित तिथि को मध्यान पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम सहायक कृषि अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त दिनांक	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	रणजीत सिंह मीणा	10.05.60	31.05.2020	सहा. निदे. कृषि (वि0)कोटडी
2	नन्द किशोर धाकड	05.07.60	31.07.2020	सहा. निदे. कृषि (वि0)कोटडी
3	रायमल जाट	20.07.60	31.07.2020	सहा. निदे. कृषि (वि0)कोटडी

नोट:-

1. उपरोक्त सहायक कृषि अधिकारियों के केवल सेवानिवृत्त आदेश जारी किए जा रहे हैं इनका जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र खण्ड कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथक से जारी किया जायेगा ।
2. उपरोक्त कार्मिकों को राजकीय आवास आवंटित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त से दो माह के भीतर राजकीय आवास खाली करवा लिया जावे ।

(डा.ओम प्रकाश)  
आयुक्त कृषि

दिनांक:- 29-5-2020

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/ 5656-62

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0)भीलवाडा ।
2. उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद, भीलवाडा ।
3. सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी ।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. सम्बन्धित कर्मचारी .....
6. निजी/आरक्षी पजिका ।

(सीताराम जाट)  
संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)